<u>न्यायालय– श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–182/2025</u>

कृष्णा भद्र एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
26.09.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.09.2025 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 वो 02 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादीगण द्वारा यह वाद निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर वादीगण के प्रश्नगत मद सं0–02 की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण रोकने, किसी तरह की क्षति पहुँचाने से रोकने एवं अन्य अनुतोष हेतु लाया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण को नोटिस का तामिला कराया जा चुका है, अब इनके उपस्थिति हेतु प्रस्तुत वाद लम्बित है। प्रतिवादी सं0–04 वो 05 को उक्त वाद की जानकारी होते हुए भी प्रश्नगत भूमि के निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगा रहे बल्कि छत ढलवाने के लिए बाँस–बल्ली एवं पटरा प्रश्नगत भूमि पर गिराए हुए है। प्रश्नगत भूमि की यथास्थिति से संबंधित प्रतिवेदन अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से मंगवाना नितांत आवश्यक है ताकि प्रश्नगत भूमि का स्वरूप क्या है?, प्रश्नगत भूमि पर कौन–कौन सा निर्माण सामग्री है और कितना–कितना है?, प्रश्नगत भूमि पर किये गए निर्माण का लम्बाई और चौड़ाई कितना है?, प्रश्नगत भूमि पर किये गए निर्माण और निर्माण सामग्री का फोटोग्राफ क्या है?, विद्वान अधिवक्ता आयुक्त ने अपने निरक्षण के दौरान प्रश्नगत भूमि पर अन्य आवश्यक तथ्य क्या पाया? इसकी जानकारी न्यायालय को उपलब्ध करवाई जा सकें। प्रश्नगत भूमि न्यायालय से लगभग 26 कि.मी. की दूरी पर है। वादीगण न्यायालय द्वारा आदेशित खर्च अधिवक्ता आयुक्त को देने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद भूमि के वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने वास्ते अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने की कृपा करे। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण ने अंदर आदेश 26 नियम 9 वो 02 एवं धारा 151 व्य0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत अधिवक्ता आयुक्त की	

<u>न्यायालय– श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–182/2025</u>

कृष्णा भद्र एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.09.2025	नियुक्ति का निवेदन किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 23.09.2025 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप कुमार दुबे को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन 07 दिनों के अंदर न्यायालय में समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2000/– रूपये वादीगण के द्वारा वहन किये जायेगें। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि जाँच में अधिवक्ता आयुक्त का सहयोग करें। कार्यालय रिट जारी करें। वाद दिनांक 13.10.2025 को अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	